



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-383/2022

दिनांक- 17-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- निजामाबाद

मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक- 15.11.2022 को वादिनी गुड़िया पत्नी अनिल विश्वकर्मा निवासी बनगांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के तहरीर आधार पर विपक्षीगण 1. शिवा उर्फ अंश पुत्र मनोज 2. प्रताप पुत्र शिवहरख 3. संदीप पुत्र प्रताप 4. शिवेत पुत्री मनोज निवासी गण बनगांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध, वादिनी के पुत्र सूरज को मारने पीटने व गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 484/22 धारा 323/504/506/452/ भादवि पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना अभियोग उपरोक्त में धारा 308 भादवि की वृद्धि की गई।

2. गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक- 17.11.2022 को उ०नि० नवल किशोर सिंह मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त भादवि से संबंधित अभि० 1. शिवा उर्फ अंश पुत्र मनोज 2. संदीप पुत्र प्रताप निवासीगण बनगांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ फरिहा चौराहे पर खडे है कही जाने वाले है इस सुचना पर फरिहा चौराहा के पास से अभियुक्तगण उपरोक्त को मुकदमे का हवाला देकर समय 14.05 बजे हिरासत मे लिया गया तथा मा०न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०सं० 484/22 धारा 323/504/506/452/308 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवा उर्फ अंश पुत्र मनोज निवासी बनगांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. संदीप पुत्र प्रताप निवासी बनगांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० उ०नि० नवल किशोर सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना – रौनापार

गैंगेस्टर में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 17.11.22 को थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 357/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मुन्ना पुत्र रामू खाँ सा० करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को समय 10.05 बजे चाँदपट्टी पुल के उत्तरी किनारे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु०अ०सं० 357/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- 1. मु०अ०सं० 357/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2. मु०अ०सं० 28/21 धारा 307 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- 1. मुन्ना पुत्र रामू खाँ सा० करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक मय हमराह थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
2. का० रामसागर यादव थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
3. का० इन्द्रजीत गौड़ थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)– दिनांक 16.11.22 को श्री पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता सा0 मेउड़िया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. रसीद पुत्र मुस्तफा 2. आरिफ पुत्र रसीद 3. इमरान पुत्र रसीद 4. सोयेब पुत्र रसीद निवासीगण सरदहा मेउड़िया द्वारा वादी की माँ निर्मला गुप्ता को पूजा करने जाते समय देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया गया व विरोध करने पर वादी की माँ व परिजनों को गाली गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/22 धारा 323/504/506/308/452/295क IPC पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 17.11.2022 को उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. इमरान पुत्र अब्दुल रसीद सा0 सरदहा मेउड़िया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. सोयेब पुत्र अब्दुल रसीद सा0 सरदहा मेउड़िया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सरदहा बाजार से समय करीब 09.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 430/22 धारा 323/504/506/308/452/295क IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इमरान पुत्र अब्दुल रसीद सा0 सरदहा मेउड़िया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

2. सोयेब पुत्र अब्दुल रसीद सा0 सरदहा मेउड़िया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह थाना- महाराजगंज आजमगढ़।

थाना- तरवां

अवैध असलहा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 17.11.2022 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी चौकी इंचार्ज बोंगरिया थाना तरवां द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त महताब अली S/O स्व0 अनवर अली R/O सरायत्रिलोचन थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को चनरा देवी स्कुल के पास स्थित पुलिस के पास से समय 8.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 316/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 316/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- महताब अली S/O स्व0 अनवर अली R/O सरायत्रिलोचन थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी -

1- एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - 1. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह थाना तरवां, आजमगढ़।

थाना- तरवां

थाना तरवां क्षेत्र के ग्राम असमलपुर में हुयी घटित घटना में 02 अभियुक्त गिरफ्तार; आलाकत्ल फावड़ा बरामद।

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)– दिनांक 16.11.2022 को वादी श्री राजेन्द्र यादव पुत्र जयश्री यादव सा0 असमलपुर थाना तरवां आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी के लड़के अंगद यादव उम्र करीब

25 वर्ष के द्वारा खेत में धान का बोझ बाधते समय वादी मुकदमा का सगा छोटा भाई अभियुक्त लालधर यादव द्वारा अपने खेत में डाढ़-मेढ़ करने एवं कोन-डाढ़ के विवाद को लेकर के दौरान वादी के लड़के अंगद यादव को जान से मारने की नियत से फावड़ा से सिर, मुह व गले पर वार किया गया तथा अंगद यादव को पीजीआई चक्रपानपुर ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 315/2022 धारा 302 भादवि बनाम लालधर यादव पुत्र जयश्री यादव सा0 असमलपुर थाना तरवां आजमगढ़ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 17.11.2022 को थानाध्यक्ष तरवां अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के विवेचना से संकलित साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त की घटना में अभियुक्ता चन्द्रकला यादव पुत्री लालधर यादव उपरोक्त का नाम प्रकाश में पाये जाने पर अभियोग में अभियुक्ता चन्द्रकला यादव की नाम वृद्धि किया गया मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों को दुर्गा माता मंदिर खरिहानी बाजार से लालधर यादव पुत्र स्व0 जयश्री यादव व लड़की का नाम चन्द्रकला यादव पुत्री लालधर यादव निवासी ग्राम असमलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 315/2022 धारा 302 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. लालधर यादव पुत्र स्व0 जयश्री यादव सा0 असमलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2- चन्द्रकला यादव पुत्री लालधर यादव निवासी ग्राम असमलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़) (विवेचना से प्रकाश में)

बरामदगी-

1 अदद फावड़ा सील सर्वमोहर मय नमुना मोहर , घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने कपड़े बनियान व लोवर एक अदद चश्मा कपड़ा(कुर्ती) रक्त लगा हुआ (लड़की), कपड़ा (गमछा) रक्त लगा हुआ बरामद हुआ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना तरवां आजमगढ़ ।

थाना सरायमीर

धर्म परिवर्तन के लिए बहला-फुसलाकर अपहरण करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना:- दिनांक 09.11.2022 को वादीनी द्वारा अपनी 22 वर्षीय पुत्री के गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराया गया। वादीनी को जानकारी हुयी कि 1. औबेदुल्ला पुत्र मो. इस्माईल निवासी सैजना थाना फूलपुर 2. मो0 जिशान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी सजनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादीनी पुत्री को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है। वादीनी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 16.11.2022 को थाना सरायमीर पर मु.अ.सं. 242/22 धारा 366/120B IPC व 3,5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही शुरू किया गया।

गिरफ्तारी विवरण:-

उपनिरीक्षक संजय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर दिनांक 16.11.2022 को नामजद अभियुक्त 1.औबेदुल्ला पुत्र मो. इस्माईल निवासी सैजना थाना फूलपुर 2. मो0 जिशान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी सजनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं. 242/22 धारा 366/120B IPC व 3,5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. औबेदुल्ला पुत्र मो. इस्माईल निवासी सैजना थाना फूलपुर

2. मो0 जिशान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी सजनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम

उपनिरीक्षक संजय कुमार मय हमराहा।